

>

Title : Election of two members from Lok Sabha to the Coir Board.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (e) of the sub-rule (1) of the rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

The motion was adopted.